न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 354/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2024/551
दायर दिनांक :– 23.12.2024 **निर्णय दिनांक :–** 11.06.2025

1. किशनाराम पुत्र अर्जनराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. जीवणराम पुत्र रणजीताराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 इस आशय से पेश किया है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप के खसरा नम्बर 2129 रकबा 4–05 बीघा व अप्राथी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2128/2 रकबा 10–13 बीघा भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2128/2 में आवागमन हेतु प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2129 में से रास्ता चाहा था। प्राथी के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर कोर्ट बाप में पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 18/2024 है। उक्त प्रार्थना का निर्णय सहायक कलक्टर बाप द्वारा दिनांक 19.06.2024 को कर दिया था। उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसके मुकदमा नम्बर 126/2024 है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22.10.2024 को कर पूर्व निर्णय दिनांक 19.06.2024 को अपास्त कर दिया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय द्वारा दिनांक 22.10.2024 को सहायक कलक्टर बाप के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है लेकिन आज दिन तक पूर्व निर्णय अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में में इन्द्राजात है और वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में हेरफेर होने के आसार है जो सरासर गलत है। पूर्व निर्णय के अपास्त होने से वर्तमान राजस्व इन्द्राजात का कानूनन कोई महत्व नहीं रहा है लेकिन फिर भी पूर्व निर्णय अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसलिये पूर्व निर्णय 19.06.2024 से पूर्व की स्थिति कायम किया जाना न्यायोचित है।

11/6/25
सहायक कलेक्टर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर गिरदावर की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन करने पर पाया गया कि सहायक कलक्टर बाप के निर्णय को अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.10.2024 के द्वारा अपास्त किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पूर्व निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है वह निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति पुनः स्थापित की जानी कानूनी तौर पर आवश्यक है। न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के राजस्व प्रार्थना संख्या 18/2024 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2024 के अपास्त हो जाने की स्थिति में इस निर्णय की पालना में दर्ज प्रविष्टयों को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है अपितु धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार उक्त निर्णय से पूर्व की स्थिति को पुर्नस्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि राजस्व प्रार्थना संख्या 18/2024 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2024 की पालना में दर्ज प्रविष्टयों को निरस्त करते हुवे राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/6/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)